फर्द अहकाम

भागचन्द चौधरी बनाम सरकार

सख्या: 107 / 2024

तांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में चेला के स्थान पर पुत्र दुरूस्त करवाने का पेश किया बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम रामसिंहपुरा, पटवार मण्डल रामसिंहपुरा, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.2200 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1103 में भागचन्द चौधरी चेला गुल्लाराम चौधरी अंकित हो गया है जिसकों भागचन्द चौधरी पुत्र गुल्लाराम चौधरी शुद्ध किया जावें। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम रामसिंहपुरा, पटवार मण्डल रामसिंहपुरा, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.2200 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में भागचन्द चौधरी चेला गुल्लाराम चौधरी के स्थान पर भागचन्द चौधरी पुत्र गुल्लाराम चौधरी शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:57:31 IST
Reason: SelfAttested